

सन् 1948 ई० का संयुक्त प्रान्त के समाप्त होने वाले ऐक्टों को जारी रखने का ऐक्ट

(संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० 13, 1948 ई०)

सन् 1948 ई० का संयुक्त प्रान्त के समाप्त होने वाले ऐक्टों को जारी रखने का ऐक्ट¹

[संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० 13, 1948 ई०]

[संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल ने क्रमशः 6 मार्च तथा 20 मार्च, 1948 ई. को स्वीकृत किया ।

भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश, 1947 ई० द्वारा नियमानुकूल बनाये हुये भारत-शासन-विधान, 1935 ई० की धारा 76 के अधीन गवर्नर जनरल ने 30 मार्च, 1948 ई० को स्वीकृति प्रदान की और वह सरकारी संयुक्त प्रान्तीय, असाधारण गजट में 1 अप्रैल, 1948 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट, 1935 ई० की धारा 93 के अधीन परममान्य गवर्नर महोदय, संयुक्त प्रान्त ने जिन ऐक्टों को लागू किया था, उनमें से कुछ की अवधि बढ़ाने के लिए,

एक
ऐक्ट

क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ऐक्ट, 1935 ई० की धारा 93 के अधीन ता० 3 नवम्बर, 1939 ई० को एक घोषणा जारी की गयी थी जिसमें समय-समय पर संशोधन भी हुये थे और क्योंकि उसके अनुसार परममान्य गवर्नर महोदय, संयुक्त प्रांत ने परिशिष्ट (शेड्यूल) में लिखे हुए ऐक्ट, (जिनको बाद में मूल ऐक्ट कहा गया है) जारी किये थे ;

और क्योंकि मूल ऐक्ट जिनकी अवधि अस्थाई है, 31 मार्च, 1948 ई० को जहां तक वह लागू हैं समाप्त हो जायेंगे ;

और क्योंकि यह उचित और आवश्यक है कि इस ऐक्ट में वर्णित मूल ऐक्टों का और ऐसे ऐक्टों को जिनके द्वारा उपर्युक्त ऐक्टों का संशोधन हुआ है और जिनका उन पर प्रभाव पड़ता है, जारी रखने की व्यवस्था की जाये ;

इसलिए नीचे लिखा हुआ ऐक्ट बनाया जाता है :—

1—इस ऐक्ट का नाम, 1948 ई० का संयुक्त प्रान्त के समाप्त होने वाले ऐक्टों को जारी रखने का ऐक्ट होगा ।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

2—(1) वे मूल ऐक्ट, जिनका वर्णन परिशिष्ट के स्तम्भ 1 में किया गया है उन संशोधन के साथ और उन सीमाओं तक जिनका ब्योरा स्तम्भ 2 में दिया गया है, स्थायी ऐक्ट होंगे ।

परिशिष्ट (शेड्यूल) में वर्णित ऐक्टों का जारी रहना

(2) ऐसे ऐक्ट जो किसी अस्थाई अवधि के लिये लागू किये गये हो, और जो अभी तक रद्द न हुए हों, जहां तक वे मूल ऐक्टों का संशोधन करते हैं या जहां तक वे उनको प्रभावित करते हों, और जो इस ऐक्ट के उपर्युक्त आदेश द्वारा जारी रखे गये हैं, उसी

¹. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 19 फरवरी, 1948 का उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

प्रकार जारी रहेंगे चाहे परिशिष्ट में उनका वर्णन हो अथवा न हो ।

अनुसूची / परिशिष्ट

(धारा-2 देखें)

संक्षिप्त नाम	कहाँ तक जारी एवं संशोधित
1940	
द यूनाइटेड प्रोविसेंज इनकम्बेयर्ड एस्टेट (एमेण्डमेण्ट) एक्ट 1940 (यू0पी0 एक्ट नं0 2 सन् 1940 ई0)	सम्पूर्ण एक्ट
द यूनाइटेड प्रोविसेंज पावर एल्कोहल (एमेण्डमेण्ट) एक्ट 1940 (यू0पी0 एक्ट नं0 10 सन् 1940 ई0)	सम्पूर्ण एक्ट
द यूनाइटेड प्रोविसेंज लेजिसलेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिस्क्वालीफिकेशन एक्ट 1940 (यू0पी0 एक्ट नं0 10 सन् 1940 ई0)	सम्पूर्ण एक्ट
यूनाइटेड प्रोविसेंज शुगर फैक्टरीज कण्ट्रोल (एमेण्डमेण्ट) एक्ट 1940 (यू0पी0 एक्ट नं0 11 सन् 1940 ई0)	सम्पूर्ण एक्ट
यूनाइटेड प्रोविसेंज डेब्ट रिडम्पशन एक्ट 1940 (यू0पी0 एक्ट नं0 13, सन् 1940 ई0)	यथा संशोधित यू0पी0 डेब्ट रिडम्पशन एक्ट (एमेण्डमेण्ट) एक्ट, 1941 (U.P. Act VI of 1941) तथा यू0पी0 डेब्ट रिडम्पशन (एमेण्डमेण्ट) एक्ट, 1942 (U.P. Act VI of 1941)
यूनाइटेड प्रोविसेंज रेगुनेशन आफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक्ट 1940 (यू0पी0 एक्ट नं0 14, सन् 1940 ई0)	सम्पूर्ण एक्ट
1941	
यूनाइटेड प्रोविसेंज एक्ससाईज (एमेण्डमेण्ट) एक्ट, 1941 (यू0पी0 एक्ट नं0 3, सन् 1941 ई0)	सम्पूर्ण एक्ट
यूनाइटेड प्रोविसेंज श्री बद्रीनाथ टैम्पल (एमेण्डमेण्ट) एक्ट 1941 (यू0पी0 एक्ट नं0 4, सन् 1941 ई0)	सम्पूर्ण एक्ट
दि यू0 पी0 इन्टरमीडियेट एजुकेशन (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई0 (यू0 पी0 ऐक्ट नं0 5, सन् 1941 ई0)।	सम्पूर्ण ऐक्ट
दि यू0 पी0 मुस्लिम वक्फस् (वैलिडेटिंग ऐन्ड एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई0 (यू0 पी0 ऐक्ट नं0 8, सन् 1941 ई0)।	सम्पूर्ण ऐक्ट
दि यू0 पी0 लैन्ड रेवेन्यू (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई0 (यू0 पी0 ऐक्ट नं0 11, सन् 1941 ई0)।	सम्पूर्ण ऐक्ट
दि यू0 पी0 मोटर विहकिल्स टैक्सेशन (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई0 (यू0 पी0 ऐक्ट नं0	

10, सन् 1941 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० एक्साइज (सप्लिमेंटरी एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 13, सन् 1941 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि एन० डब्ल्यू० पी० विलेजेज ऐक्ट, सन् 1941 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 14,

सन् 1941 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि काटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्टरीज (यू० पी० एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 15, सन् 1941 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

सन् 1942 ई०

दि यू० पी० डिस्ट्रीक्ट बोर्ड्स (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 1, सन् 1942 ई०)।

दि नायक गर्ल्स प्रोटेक्शन (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 2, सन् 1942 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० गूण्डाज (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 4, सन् 1942 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० स्पेशल आर्म्ड कामस्टेबलरी ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 5, सन् 1942 ई०)।

(शेड्यूल) मे
दिये हुये यह
शब्द

दि सिनेमैटीग्राफ (यू० पी० एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 7, सन् 1942 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

सन् 1943 ई०

दि यू० पी० डिस्ट्रीक्ट बोर्ड्स (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1943 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 2, सन् 1943 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स (एमेंडमेंट) ऐक्ट, 1943 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 10, सन् 1943 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1943 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 11, सन् 1943 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1943 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 12, सन् 1943 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

सन् 1944 ई०

दि कोआपरेटिव सोसाइटीज (यू० पी० एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1944 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 1, सन् 1944 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि पुलिस (यू० पी० एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1944 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 2, आफ 1944 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० फायर सर्विसेज ऐक्ट, सन् 1944 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 3, आफ 1944 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० टाउन इम्प्रुवमेन्ट (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1944 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 6, आफ 1944 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

सन् 1945 ई०

दि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1945 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 1, आफ 1945 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल (एमेंडमेंट) ऐक्ट, सन् 1945 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 3, आफ 1945 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० बद्रीनाथ (सैनिटेशन ऐन्ड इम्प्रुवमेंट) ऐक्ट, सन् 1945 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 5, आफ 1945 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, सन् 1945 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 6, आफ 1945 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट
जैसा कि वह
कानपुर अर्बन
एरिया
डेवलपमेंट बोर्ड
(अमेंडमेंट आफ
कान्स्टीट्यूशन)

ऐक्ट 1948 ई०
(यू० पी० ऐक्ट
2, आफ 1948)
द्वारा संशोधित
है।

दि यू० पी० रोड साइड लैन्ड कन्ट्रोल ऐक्ट, सन् 1945 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 10, आफ 1945 ई०)। सम्पूर्ण ऐक्ट

सन् 1946 ई०

दि लखनऊ यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1946 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 1, आफ 1946 ई०)। सम्पूर्ण ऐक्ट

दि आगरा यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1946 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 2, आफ 1946 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1946 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 4, आफ 1946 ई०)। सम्पूर्ण ऐक्ट

दि आगरा यूनिवर्सिटी (सेकेंड अमेन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1946 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 5, आफ 1946 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट